भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 045208
14 JUL 2008

ट्रस्ट - डीड

स्टाम्प शुल्क- 800/- रूपये

यह कि श्री सुधीर गिरी पुत्र श्री शिवकुमार गिरी 33, मीरा इन्क्लेव, मेरठ एवं श्रीमती रश्मि त्रिपाठी पत्नी श्री रज्जन त्रिपाठी निवासी 108, सैनिक नगर, लखनऊ के हैं, जिन्हें आगे व्यवस्थापक कहा गया है। व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है, जिसके लिये व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 10,000/- रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा शिक्षा के लिये कार्य व अन्य सामाजिक कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है, के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 10,000/- रूपये

1053

क्रम संख्या............

स्टाम्प विक्रय की तिथि............ 22-7-08

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन............

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता............ श्री रुक्मणी एजुकेशनल वेल फेयर ट्रस्ट

स्टाम्प की धनराशि............

प्रभा गुप्ता स्टाम्प विक्रेता

लाइसेन्स नं०-56

लाइसेन्स की अवधि 31-3-2010

कलेक्ट्रेट कोर्ट परिसर, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 350674

को इस उद्देश्य से हस्तान्तिरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त न्यासीगण ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम न्यासीगण होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि:-

1. उक्त ट्रस्ट का नाम श्री राम जानकी एजूकेशनल एण्ड वैलफेयर ट्रस्ट (Shri Ram Janki Educational & Welfare Trust) होगा।

2. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय 108, सैनिक नगर, लखनऊ पर होगा परन्तु न्यासीगण को अधिकार होगा कि वह उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी स्थानान्तरति कर सकते हैं।

3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 10,000/- रूपये तथा उक्त ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है, जिसका तात्पर्य ट्रस्ट की सम्पत्ति/नगद राशि, निवेश, धन दान अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय-समय

Guelhia रश्मि त्रिपाठी

4718 22/7/08

[illegible]
स्टाम्प का कार्य का उद्देश्य ....
क्रेता का नाम व पता ....
वकील की हस्ताक्षर 100

के० एन० मिश्रा, स्टाम्प विक्रेता
लाईसेंस नं० 23 लाग की वैधता 31-3-2010
कलेक्ट्रेट कोर्ट, [illegible]

कार्यालय उप निबन्धक ([illegible])

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 350575
16 JUN 20

स. को. अ / कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ

पर प्राप्त हो, का धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे।

4. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड तथा ट्रस्ट जिनकी पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे।

5. न्यासीगण को समय-समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण समय-समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थओं, व्यक्तियों, संस्थाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड की आय को तथा उसके समस्त

रश्मि त्रिपाठी

4717 22/7/07

श्री रामनिवास की दुकान नैरातला हेतु

के० एल० मिश्रा, स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं० 23 ता० की अवधि 21-8-2010
कलेक्टरेट कोर्ट, लखनऊ

लिखित को सही .... (signature)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार लखनऊ
लखनऊ कोषागार से जारी
Y 350576
26 JUN 20..
स. को. अ/कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ

या किसी भाग को आगे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक, या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

(1) डेन्टल कालिज, मेडिकल कालिज एवं अस्पताल की स्थापना व संचालन करना।

(2) इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना व संचालन करना।

(3) स्कूल, कालिज व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।

(4) शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

(5) ट्रस्ट हेतु जमीन, जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें ट्रस्ट हित मे विक्रय करना तथा हस्तान्तरण करना।

(6) समाज के सभी वर्ग के जरूरत मन्दों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना।

रश्मि त्रिपाठी

97/08 22/7/08

[redacted]

के. एन. मिश्रा [redacted]

[redacted] नं. 23 [redacted] 31-3-2010

[redacted] कोर्ट, लखनऊ

श्रीराम बालक की पत्नी श्यामलता देवी

(7) समाज के सभी वर्गों के जरूरतमन्दों के लिये छात्रवृत्ति, सहायता आदि कार्य करना।

(8) अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

(9) प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अवैध कब्जे भी न हो पायें।

(10) निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिए चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

(11) स्कूल व कालिज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

(12) शैक्षिक किताबों/पेपर का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा होस्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

(13) समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिये कार्य करना।

(14) ट्रस्ट भवन का निर्माण कार्य आदि करना।

(15) ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना ताकि समाज व मानव जाति के कल्याणकारी कार्य सुचारू रूप से न्यास कर सके।

(16) वह सभी कार्य करना जिनके करने से समस्त व मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।

8. यह कि न्यास का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

9. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में किसी या किन्हीं भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Gudhwa रश्मि त्रिपाठी

सत्यमेव जयते

10. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते है।

11. यह कि अध्यक्ष व सचिव का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा तथा अध्यक्ष व सचिव की मृत्यु के बाद उनकी सन्तानों का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा। किसी और व्यक्ति का किसी भी प्रकार का अधिकार ट्रस्ट पर ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर नहीं होगा।

12. यह कि ट्रस्टीगण को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष एवं सचिव नियुक्त करेंगे तथा अध्यक्ष व सचिव ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए उपाध्यक्ष, उपसचिव व कोषाध्यक्ष नियुक्त करेंगे। अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीन पर्यन्त (Life Term) होगा तथा बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल अध्यक्ष व सचिव की इच्छा पर होगा जो कि कभी भी हटाये जा सकते हैं।

13. यह कि सुधीर गिरी उक्त ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष व श्रीमती रश्मि त्रिपाठी उक्त ट्रस्ट की प्रथम सचिव होंगी।

14. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होंगे:-

अध्यक्ष- ट्रस्ट की सभी बैठकों के अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना। ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही करना।

उपाध्यक्ष- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा बताये गये अनुमोदित कार्य करना।

सचिव- ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्तावों व आदेशों को कार्यरूप में परिणित करना। ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण बैठक कार्यवाही

Gudhir रश्मि त्रिपाठी

आयोजक उप निबन्धक (प्रथम)

रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

उपसचिव- सचिव की अनुपस्थिति में सचिव द्वारा बताये गये अनुमोदित कार्य करना।

कोषाध्यक्ष- ट्रस्ट के दैनिक आय-व्यय का हिसाब रखना व उसका ऑडिट कराना। ट्रस्ट की समस्त व्यय जोकि सचिव द्वारा सत्यापित हों उनको अनुमोदित कर भुगतान करना। ट्रस्ट के नाम से सभी चालू खाते सावधि जमा खाते, सेविंग बैंक खाते, ओवर ड्राफ्ट खाते व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते की देखरेख करना।

15. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे।

16. यह कि ट्रस्टीगण समय-समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्ध समिति तथा उसके कार्यकाल नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझ से प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्ध समितियों के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष बनेंगे।

17. अध्यक्ष व सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्चे उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष व सचिव होंगे और ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

18. यह कि अध्यक्ष व सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने व सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा।

रश्मि त्रिपाठी

उप निबन्धक (प्रथम)

जयते

25. यह हकि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, सेविंग बैंक खाता, ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हों में खोल और रख सकते हैं परन्तु सभी उक्त बैंकिंग एकाउन्ट्स खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

26. यह कि ट्रस्टगीण ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाप्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय-व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि सभी ट्रस्टियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसके बाद चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिट कराया जायेगा।

27. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिवत कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

28. यह कि ट्रस्टगीण के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तो पर ट्रस्टीगण निशचित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर या किराये पर किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने तथा विक्रय करने, किराये पर देने हस्तान्तरण करने या अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा।

29. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सर्शत अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होंगे।

रश्मि त्रिपाठी

यास पत्र

न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
10,000.00	200.00	20	220.00	1,000

श्री /श्रीमती सुधीर गिरी
पुत्र / पत्नी श्री शिवकुमार गिरी
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी 33 मीरा इन्कलेव मेरठ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 29/7/2008 समय 2:35PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

पी.के.द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
29/7/2008

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी
श्री/श्रीमती सुधीर गिरी
पुत्र/पत्नी श्री शिवकुमार गिरी
पेशा व्यापार
निवासी 33 मीरा इन्कलेव मेरठ

श्री/श्रीमती रश्मि त्रिपाठी
पुत्र/पत्नी श्री रज्जन त्रिपाठी
पेशा गृहिणी
निवासी 108 सैनिक नगर लखनऊ

19. यह कि ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव को होगा।

20. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगणों को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी, परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

21. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टीगणों की संख्या का 1/3 अथवा किसी तीन ट्रस्टियों का होगा। यदि कोरम के अभाव में सभी स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा की कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती।

22. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को अपने तकनीकी कौशल के अनुसार ट्रस्टीगण व्यवसायिक सेवा के लिये उचित पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगें। अध्यक्ष व सचिव की मृत्यु के बाद इनकी सन्तान पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

23. यह कि सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियाँ आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु वह उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण न हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे।

24. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य करने हेतु किसी भी ऐजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Gudhiw रश्मि त्रिपाठी

कार्यालय उप निबन्धक (प्रथम)
सत्यमेव जयते
लखनऊ

30. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये समय-समय पर उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा। इन सभी कार्यों को करने का अधिकार ट्रस्टीगण को होगा।

31. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराये पर देने व सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

32. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जमीन जायदाद क्रय करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/सचिव को होगा।

33. यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट प्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ हों तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् भी लाभ या हानि होगी वह ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक-ट्रस्टीगण ने अपने हस्ताक्षर किये।

लखनऊ दिनाँक 29-07-2008

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

रश्मि त्रिपाठी

नवल किशोर

गवाहः-

(हरीनाथ तिवारी एडवोकेट)
29-7-08
बरामदा नम्बर 2, कलेक्ट्रेट लखनऊ

गवाहः-

नवल किशोर शर्मा s/o जगदीश प्रसाद
4/267 तेली बाग, लखनऊ
मसविदा कर्ता
29-7-08
(हरीनाथ तिवारी)
एडवोकेट

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री हरीनाथ तिवारी एडो0
पुत्र श्री
पेशा वकालत
निवासी कले0 को0 लखनऊ
व श्री नवल किशोर शर्मा
पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
पेशा व्यापार
निवासी 1/267 तेलीबाग लखनऊ
ने की ।

नवल किशोर शर्मा

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

पी.के.द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
29/7/2008

उप निबन्धक (प्रथम) सत्यमेव जयते लखनऊ

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- सुधीर गिरी पुत्र श्री शिवकुमार गिरी निवासी 33, मीरा इन्क्लेव, मेरठ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

न्यासी

Registration No 234 Year : 2008 Book No. 4

0101 सुधीर गिरी

शिवकुमार गिरी

33 मीरा इन्कलेव मेरठ

व्यापार

0102 रश्मि त्रिपाठी

रज्जन त्रिपाठी

108 सैनिक नगर लखनऊ

गृहिणी

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32--ए, अनुपालन हेतु फिगंर प्रिन्टर्स्

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पताः– श्रीमती रश्मि त्रिपाठी पत्नी श्री रंजन त्रिपाठी निवासी 108, सैनिक नगर, लखनऊ

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

रश्मि त्रिपाठी

विक्रेता / क्रेता का नाम व पताः– ______________________

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक **29/07/2008** को

वही सं **4** जिल्द सं **398**

पृष्ठ सं **1** से **24** पर कमांक **234**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

पी.के.द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

29/7/2008

1५ 140/15

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 191826

02 DEC 2014

ट्रस्ट डीड

हम कि **श्री सुधीर गिरी पुत्र श्री शिवकुमार गिरी निवासी 33, मीरा इन्कलेव, शहर मेरठ** एवं **श्रीमती रश्मि त्रिपाठी पत्नी श्री रज्जन त्रिपाठी निवासी 108, सैनिक नगर, लखनऊ** के हैं, जिन्हें आगे व्यवस्थापक कहा गया है व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है।

जोकि व्यवस्थापक ने एक ट्रस्ट **श्री राम जानकी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट (Shri Ram Janki Educational & Welfare Trust)** के नाम से अंकन 10,000/– रूपये की धनराशि से स्थापित किया जिसका मुख्य कार्यालय 108, सैनिक नगर, लखनऊ है जिसका न्यास पत्र दिनांक 29.07.2008 ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही सं0 4 जिल्द सं0 398 के पृष्ठ सं0 01 से 24 में नं0 234 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार, प्रथम, लखनऊ हुयी, तथा अब **श्री सुधीर गिरी पुत्र श्री शिवकुमार गिरी निवासी 33, मीरा इन्क्लेव, शहर मेरठ** ने ट्रस्ट के साथ कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की और अपने पद व ट्रस्टी पद से दिनांक 28.01.2015 ई0 को त्याग पत्र देकर ट्रस्ट न्यास के ट्रस्टी एवं अध्यक्ष पद एवं दायित्व से अवमुक्त हो गये। जिसे ट्रस्ट की साधारण सभा दिनांक 29.01.2015 ई0 में स्वीकृत किया गया एवं **श्री सुधीर गिरी पुत्र श्री शिवकुमार गिरी निवासी 33, मीरा इन्क्लेव, शहर मेरठ** को ट्रस्ट में ट्रस्टी एवं अध्यक्ष पद से अवमुक्त किया गया। तथा अन्य कुछ आवश्यक संशोधन सर्वसम्मति से न्यास ट्रस्ट में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एवं सुचारू संचालन के लिए किये गये हैं जिनका संशोधित होना व ट्रस्ट डीड में अंकित होना अति

Sudhir + अध्यक्ष (अध्यक्ष)

रश्मि त्रिपाठी

क्रम संख्या.. 16580

स्टाम्प विक्रय करने की तिथि.................. 5/3/15

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....

द्वारा..

स्टाम्प की धनराशि..................

डी० पी० बाकर रिज़वी

लाइसेंस नम्बर-8

लाइसेंस की अवधि 31-3-2018

कलेक्टरेट कोर्ट, लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री डी0 पी0 सिहं ऐडो0 तहसील लखनऊ

पेशा वकालत

निवासी

व श्री दिनेश सिह चोहान एडो0 सदर तहसील लखनऊ

पुत्र श्री

पेशा वकालत

निवासी

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनीत दीक्षित (प्रभारी)
उप निबन्धक(प्रथम)
लखनऊ
7/3/2015

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 123616
28 JAN 2015

आवश्यक है इसलिए उक्त ट्रस्ट डीड/न्यास पत्र दिनांक 29.07.2008 ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही सं0 4 जिल्द सं0 398 के पृष्ठ सं0 01 से 24 में नं0 234 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार, प्रथम, लखनऊ हुयी, के पूरक विलेख की आवश्यकता हुई। अतः शान्तिपूर्वक विचार करके स्वस्थ मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की दशा में व्यंवस्थापक इस पूरक विलेख द्वारा पूर्व में स्थापित ट्रस्ट डीड/न्यास पत्र दिनांक 29.07.2008 ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही सं0 4 जिल्द सं0 398 के पृष्ठ सं0 01 से 24 में नं0 234 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार, प्रथम, लखनऊ हुयी, में निम्न प्रकार **संशोधन** करते हैं :-

1. यहकि पूर्व में निष्पादित ट्रस्ट डीड/न्यास पत्र दिनांक 29.07.2008 ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही सं0 4 जिल्द सं0 398 के पृष्ठ सं0 01 से 24 में नं0 234 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार, प्रथम, लखनऊ हुयी, के अनुसार **श्री सुधीर गिरी पुत्र श्री शिवकुमार गिरी निवासी 33, मीरा इन्क्लेव, शहर मेरठ** ने ट्रस्ट के साथ कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की और अपने अध्यक्ष पद एवं ट्रस्टी पद से त्याग पत्र देकर ट्रस्ट न्यास के पद एवं दायित्व से अवमुक्त हो गये तथा **श्रीमती रश्मि त्रिपाठी पत्नी श्री रज्जन त्रिपाठी निवासी 108, सैनिक नगर, लखनऊ** यथावत् हैं जो न्यास ट्रस्ट के संस्थापक न्यासी/ट्रस्टी हैं, यहाँ उल्लेखनीय यह है कि केवल संस्थापक ट्रस्टी **श्रीमती रश्मि त्रिपाठी पत्नी श्री रज्जन त्रिपाठी निवासी 108, सैनिक नगर, लखनऊ** को ही समस्त अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर

रश्मि त्रिपाठी

क्रम संख्या............ 16583
स्टाम्प विक्रय करने की तिथि............ [illegible]
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... [illegible]
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता .... [illegible]
द्वारा............
स्टाम्प की धनराशि............ [illegible]

जी० पी० बाकर रिज़वी
लाइसेंस नम्बर-8
लाइसेंस की अवधि 31-3-2018
कलेक्टरेट कोर्ट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CK 123617

प्राप्त होगी किसी अन्य का ट्रस्ट या उसकी सम्पत्तियों पर कोई अधिकार किसी किस्म का ना होगा।

2. यहकि अब ट्रस्ट के सचिव के साथ अध्यक्ष का कार्यभार भी **श्रीमती रश्मि त्रिपाठी पत्नी श्री रज्जन त्रिपाठी निवासी 108, सैनिक नगर, लखनऊ** के पास रहेगा व शेष पद रिक्त छोड़े जाते हैं। जिन्हें अध्यक्ष/सचिव ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समयानुसार नियुक्ति करके भरने के अधिकारी होंगे। और आवश्यकतानुसार नियफकत व हटा सकेंगें।

3. यहकि यहाँ स्पष्ट करना अनिवार्य है कि ट्रस्ट के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य यद्यपि अध्यक्ष/सचिव की सहमति व सलाह से किया जावेगा किन्तु अन्तिम निर्णय संस्थापक न्यासी/सचिव का होगा तथा सचिव को अपने विवेक से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एवं सफल संचालन हेतु ट्रस्ट के समस्त कार्य करने व निर्णय लेने का अधिकार होगा जिसमें किसी को आपत्ति करने को अधिकार ना होगा एवं सचिव के अलावा अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों का कार्यकाल पूर्व निर्धारित एक वर्ष का ही होगा.।

4. यहकि **श्रीमती रश्मि त्रिपाठी पत्नी श्री रज्जन त्रिपाठी निवासी 108, सैनिक नगर, लखनऊ** संस्थापक ट्रस्टी के साथ–साथ ट्रस्ट की सचिव हैं इसके साथ अध्यक्ष भी नियुक्त की जाती है तथा ट्रस्ट के समस्त कार्यों का सम्पादन संस्थापक ट्रस्टी **श्रीमती रश्मि त्रिपाठी पत्नी श्री रज्जन त्रिपाठी निवासी 108, सैनिक नगर, लखनऊ** द्वारा किया जाता रहा है। **श्री सुधीर गिरी पुत्र श्री शिवकुमार गिरी निवासी 33, मीरा इन्कलेव, शहर मेरठ** के ट्रस्ट

रश्मि त्रिपाठी

क्रम संख्या............................ 16582

स्टाम्प विक्रय करने की तिथि................ 5/3/15

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....

द्वारा......................................

स्टाम्प की धनराशि..........................

जी० पी० बाकर रिज़वी

लाइसेंस नम्बर-8

लाइसेंस की अवधि 31-3-2016

कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री डी0 पी0 सिह एडो0 तहसील लखनऊ

पेशा वकालत

निवासी

व श्री दिनेश सिह चोहान एडो0 सदर तहसील लखनऊ

पुत्र श्री

पेशा वकलत

निवासी

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनीत दीक्षित (प्रभारी)
उप निबन्धक(प्रथम)
लखनऊ
7/3/2015

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CK 123618

के ट्रस्टी व अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिये जाने के बाद ट्रस्ट के लिए सभी प्रकार के बैंकों व सरकारी विभागों आदि की गारंटियों व सिक्योरिटी व विवाद आदि की कोई जिम्मेवारी **श्री सुधीर गिरी पुत्र श्री शिवकुमार गिरी निवासी 33, मीरा इन्कलेव, शहर मेरठ** की ना होगी। ट्रस्ट ही उसके लिए उत्तरदायी व अधिकारी होगा तथा अब संशोधन के उपरान्त अध्यक्ष/सचिव **श्रीमती रश्मि त्रिपाठी पत्नी श्री रज्जन त्रिपाठी निवासी 108, सैनिक नगर, लखनऊ** हो गयीं हैं व रहेंगी। तथा आइन्दा सभी बैंक अकाउण्ट ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष व सचिव/कोषाध्यक्ष **श्रीमती रश्मि त्रिपाठी पत्नी श्री रज्जन त्रिपाठी निवासी 108, सैनिक नगर, लखनऊ** अपने हस्ताक्षरों से संचालित करेंगें।

5. यहकि ट्रस्ट के कार्य व उद्देश्य समाज में शिक्षा व सामाजिक सेवा का है व्यवसायिक व लाभ का नहीं है यानि शिक्षा क्षेत्र में स्ववित्त पोषित संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका लाभ रहित संचालन करना यानि Not for Profit है यानि ट्रस्ट का उद्देश्य व्यवसायिक नहीं है शिक्षा व अन्य क्षेत्र में हर वर्ग के लोंगों की सेवा करना व उनका उत्थान करना है।
6. यहकि ट्रस्ट के उद्देश्यों में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना व उनका संचालन करना भी है। तथा विश्वविद्यालय एवं ओपन विश्वविद्यालय स्थापित करें तथा उनका संचालन करें, मेडिकल कॉलिज, डेण्टल कॉलिज, नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान व अन्य प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करे एवं उनका संचालन करें।

रश्मि त्रिपाठी

क्रम संख्या 16581
स्टाम्प विक्रय करने की तिथि 5/3/15
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....
द्वारा ....
स्टाम्प की धनराशि ....

जी० पी० बाबर रिज़वी
लाइसेंस नम्बर–8
लाइसेंस की अवधि 31-3-2018
कलेक्टेट कोर्ट, लखनऊ

वास पत्र

100.00	20	120.00	1,000
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

न्यास की राशि

श्री श्रीराम जानकी एजू.ए. वे.ट्रस्ट रश्मि त्रिपाठी

पत्नी ~~पुत्र श्री~~ रज्जन त्रिपाठी

रश्मि त्रिपाठी

व्यवसाय समाज सेवा

निवासी स्थायी 108 सैनिक नगर लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 7/3/2015 समय 1:29PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रश्मि त्रिपाठी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनीत दीक्षित (प्रभारी)

उप निबंधक(प्रथम)

लखनऊ

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

रश्मि त्रिपाठी

श्री श्रीराम जानकी एजू.ए. वे.ट्रस्ट रश्मि त्रिपाठी

पत्नी ~~पुत्र श्री~~ रज्जन त्रिपाठी

पेशा समाज सेवा

निवासी 108 सैनिक नगर लखनऊ

श्री रज्जन त्रिपाठी बहै0 स0 गु0

पुत्र श्री स्व0 देवराज त्रिपाठी

पेशा समाज सेवा

निवासी 108 सैनिक नगर लखनऊ

त्रिपाठी रश्मि

7. यहकि ट्रस्ट के सभी विलेख जैसे संशोधन पत्र व अन्य जो भी विलेख निष्पादित करके रजिस्ट्री करांने की आवश्यकता होगी, के लिए **श्रीमती रश्मि त्रिपाठी पत्नी श्री रज्जन त्रिपाठी निवासी 108, सैनिक नगर, लखनऊ** को न्यास का निष्पादक/सैटलर नियुक्त किया गया जिसके अनुसार उन्हें अधिकार प्राप्त है एवं ट्रस्ट की ओर से अधिकृत है कि वे केवल अपने हस्ताक्षरों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई भी संशोधन विलेख या पूरक विलेख या विलेख निष्पादक कर रजिस्ट्री कराये इस क्रम में **श्रीमती रश्मि त्रिपाठी पत्नी श्री रज्जन त्रिपाठी निवासी 108, सैनिक नगर, लखनऊ** यह विलेख निष्पादक कर रजिस्ट्री करा रही है।

8. यहकि ट्रस्ट के सभी न्यासियों ट्रस्टीयों के कार्यकाल में संशोधन कर सचिव का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा व अध्यक्ष सहित अन्य ट्रस्टीयों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा जो सर्वसम्मति से बढ़ाया जावेगा यदि कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया तो ट्रस्ट में उसकी पद व ट्रस्टी सदस्यता की मान्यता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

9. यहकि संस्थापक ट्रस्टी श्रीमती **रश्मि त्रिपाठी पत्नी श्री रज्जन त्रिपाठी निवासी 108, सैनिक नगर, लखनऊ** की मृत्यु के उपरान्त उनकी सन्तान जीवन पर्यन्त न्यास ट्रस्ट के ट्रस्टी होगी तथा उन्हें ट्रस्ट में व ट्रस्ट की समस्त सम्पत्तियों में समस्त अधिकार प्राप्त होंगें।

10. यहकि ट्रस्ट न्यास के उद्दश्यों की पूर्ति एवं सफल संचालन हेतु यदि किसी बैंक या वित्तीय संस्था से कोई ऋण या आर्थिक सहायता प्राप्त करनी हो या किसी को देनी हो तो संस्थापक ट्रस्टी **श्रीमती रश्मि त्रिपाठी पत्नी श्री रज्जन त्रिपाठी निवासी 108, सैनिक नगर, लखनऊ** उसके लिए अधिकृत की जाती हैं कि वे किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण या आर्थिक सहायता प्राप्त करे, या दें। जिसमें किसी को कोई आपत्ति न होगी।

11. यहकि संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष/सचिव **श्रीमती रश्मि त्रिपाठी पत्नी श्री रज्जन त्रिपाठी निवासी 108, सैनिक नगर, लखनऊ** के अतिरिक्त सभी सामान्य ट्रस्टीयों व पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का निर्धारित है जो समय से पूर्व त्यागपत्र देकर ट्रस्ट व अपने पद से अवमुक्त हो सकते हैं। तथा संस्थापक ट्रस्टी **श्रीमती रश्मि त्रिपाठी पत्नी श्री रज्जन त्रिपाठी निवासी 108, सैनिक नगर, लखनऊ** को अधिकार होगा कि वे किसी को भी जो

रश्मि त्रिपाठी

न्यासी

Registration No.: 140 Year : 2,015 Book No. : 4

0101 श्रीराम जानकी एजू,ए, वे,ट्रस्ट रश्मि त्रिपाठी

रज्जन त्रिपाठी

108 सैनिक नगर लखनऊ

समाज सेवा

0102 रज्जन त्रिपाठी बहै0 त0 मु0

स्व0 देवराज त्रिपाठी

108 सैनिक नगर लखनऊ

समाज सेवा

ट्रस्ट के नियमों के अनुरूप योग्य हो अस्थाई ट्रस्टी नियुक्त करें व उन्हें कार्यभार सौंपे या उन्हें हटाए या ट्रस्टी समय से पूर्व त्याग पत्र देकर अलग हो जावे। शेष नियम व शर्तें नियम एवं उपनियम पूर्व में निष्पादित ट्रस्ट डीड/न्यास पत्र दिनांक 29.07.2008 ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही सं0 4 जिल्द सं0 398 के पृष्ठ सं0 01 से 24 में नं0 234 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार, प्रथम, लखनऊ हुयी, के अनुसार रहेंगी तथा यह पूरक विलेख उनका अंश रहेगा तथा उनके साथ पढ़ा व सुना जावेगा।

12. यहकि एतद्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ हो तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिस्थितियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं तथा इसके पश्चात् जो भी लाभ हानि होगी व ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा। अतः यह पूरक विलेख पूर्व में निष्पादित ट्रस्ट डीड/न्यास दिनांक 29.07.2008 ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही सं0 4 जिल्द सं0 398 के पृष्ठ सं0 01 से 24 में नं0 234 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार, प्रथम, लखनऊ हुयी, का लिख दिया कि प्रमाणित एवं उपयोगी हो।

रश्मि त्रिपाठी

गवाह- डॉ0 पी0 सिंह
एडवोकेट
सदर तहसील लखनऊ

गवाह दिनेश सिंह चौहान
एडवोकेट
सदर तहसील लखनऊ

आज दिनांक **07/03/2015** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **518**

पृष्ठ सं. **85** से **96** पर कमांक **140**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनीत दीक्षित (प्रभारी)

उप निबन्धक(प्रथम)

लखनऊ

7/3/2015